राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया,सिविल लाईन फाटक के पास,जयपुर 302005

क्रमांकः– एफ 1(7)(76)डीपीसी/सान्याअवि/2022/ 26065 जयपुर, दिनांक :– 01-12-2022

–: संशोधित आदेश :–

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.11.2022 को मंत्रालयिक संवर्ग के वर्ष 2022–23 में रिक्त पदों पर पदोन्नति दिनांक 03.08.2022 के स्थान पर 01.04.2022 किये जाने के संबंध में आयोजित की गई।

मंत्रालयिक संवर्ग के पुनर्गठन में वृद्धि किये गये पदों पर विभागीय आदेश क्रमांक 15394 दि. 18.08.2022 द्वारा संस्थापन अधिकारी, आदेश क्रमांक 15363 दि. 18.08.2022 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, आदेश क्रमांक 15556 दि. 23.08.2022 द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, आदेश क्रमांक 17778 दि. 13.09.2022 द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा आदेश क्रमांक 18001 दि. 13.09.2022 द्वारा वरिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नति दी गई है। उक्त आदेशों में नवीन पदों पर पुनर्गठन आदेश की दिनांक 03.08.2022 से पदोन्नति दी गई है।

वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102205625 दिनांक 12.10.2022 में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव के अनुक्रम में वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 102203688 दिनांक 28.6.2022 के द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन दि. 01.04.2022 की स्थिति में किया गया है। वित्त विभाग की उक्त सलाह के अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक 12882 दिनांक 03.08.2022 में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों की पुनर्गठन की दिनांक 01.04.2022 की जानी है।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.11.2022 में समिति द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर उपरोक्त विभागीय आदेशों में पदों के पुनर्गठन के अनुसार नवीन पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों/कार्मिकों की पदोन्नति दिनांक 02.04.2022 अथवा 03.08.2022 को संशोधित कर दिनांक 01.04.2022 की जाती है।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 1(7)(76)डीपीसी/सान्याअवि/2022/ 26066-365 जयपुर, दिनांक :– 01-12-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, जयपुर।
3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त जिले) ....।
4. प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)/लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
5. संस्थापन प्रशाखा (पी.–3), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को वेबसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
6. संबंधित कार्मिक सुश्री/श्रीमती/श्री..।
7. व्यक्तिगत पत्रावली सुश्री/श्रीमती/श्री .... ।
8. आदेश पत्रावली।

(उम्मेद सिंह)
अति० निदे० (सत० एवं प्रशा०)

Tele. No. 2226618 Fax No. 2226631 e-mail : raj.sje@rajasthan.gov.in